1709

विक्रय-पत्र

दस्तावेज नं०.....................

१- बैनामा रू० 171000/- Rs.
२- मालियत रू० 171000/- Rs.
३- किस्म जमीन भूमिधरी
४- क्षेत्रफल/रकबा 0.326 है०
५- वार्षिक किराया/लगान 6-25
६- आच्छादित क्षेत्रफल.....................
७- विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति से- है/नहीं हैं।
८- देय स्टाम्प रू० 8550/- Rs.
९- सरकारी रेट रू० 9 लाख प्रति हैक्टेयर + 50% अधिक
१०- रेट लिस्ट पेज नं० 3
कमांक 35 क्र०सं०.....................
११- स्थित ग्रा०/मौ० देला अहीर
परगना बुढ़पुर
१२- किता.....................

मैं/हम कि कुँवर बहादुर पुत्र नन्हे व भूरे सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासीगण ग्राम शाहदपुर गुलाल परगना बुढ़पुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर

विक्रेता

ने रुपये एक लाख इकहत्तर हजार रुपये 171000/-
जिसके आधे रुपये पिच्चासी हजार पाँच सौ रुपये।
होते हैं प्रतिफल के बदले में श्री खादी विकास संस्थान मौह० रामनगर नूरपुर (बिजनौर) द्वारा सचिव, श्री इमामुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल रशीद निवासी मौहल्ला रामनगर कस्बा नूरपुर परगना बुढ़पुर तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर

क्रेता

के हक में ग्राम/मौ० देला अहीर परगना बुढ़पुर तहसील, चान्दपुर जिला बिजनौर का पूर्ण स्वामी है और उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण, भार बन्धक आदि से मुक्त है तथा इसको विक्रय करने का विक्रेता को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से बिना किसी दबाव के अपनी स्वस्थ चित्त शरीर व स्थिर बुद्धि की दशा में भली प्रकार विचार कर अपनी आवश्यकता तथा वर्तमान बाजारी मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित स्तत्व, अधिकारों एवं हितों सहित बिना कुछ सुरक्षित रखे संलग्न स्टाम्प पेपर पर अंकित प्रतिफल के बदले में क्रेता पक्ष उक्त को विक्रय कर दिया। अब इस सम्पत्ति से विक्रेता अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी का कोई वास्ता व ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। यदि विक्रेता के स्तत्व अधिकारो के अभाव या किसी विविध त्रुटि के कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न होने या किसी कारण से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या उसका अंश क्रेता के अधिकार से निकल जाने या उस पर क्रेता को अधिकार न मिले या किसी भार जिसका स्पष्ट उल्लेख विक्रेता में न किया गया हो क्रेता को चुकता करना पड़े तो ऐसी समस्त दशाओं में क्रेता को अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा व्यय, भार सब मय हर्जा खर्चा अदालत से विक्रेता व उसके उत्तराधिकारियों की माल व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। विक्रेता व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी। कब्जा क्रेता का मौके पर करा दिया है अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे।

स्टाम्प की कीमत रू० 8550/- इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न।

विक्रीत धन की अदायगी कुल रकम पूर्व प्राप्त कर चुके हैं।

फोटो प्रमाणित द्वारा.....................

स्थित ग्राम/मौ० देला अहीर परगना बुढ़पुर तहसील चान्दपुर

(२३)

कैफियत 171,000/-

3420   20   3545   60

कुल बहादुर   वि० सं०

शाहदेव गुरुंग

16/02/

म. ई.

कलबहादुर

कुल बहादुर

171,000/-

कलबहादुर

सोम सिं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 662941

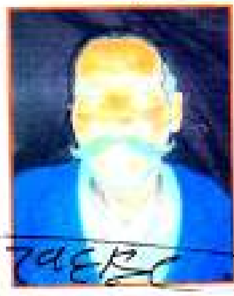

जिला बिजनौर में आपकी कुल
की कुल भूमि जो रकबे शून्य 0.326
दशमलव तीन, दो, छः हैक्टेयर और
जिस कुल भूमि जो एक दशमलव 1.509
पांच, शून्य, नौ हैक्टेयर, भूमि जो
खसरा नम्बर 849मि. नवासी मि. है।

9971 50000 16/2/09

8550

SUSHIL KUMAR AGARWAL
L. N. 35/2009, Stamp Vendor
CHANDPUR

उप कोषाधिकारी
11 FEB 2009
चान्दपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 553502

विक्रय अभिलेख सम्बन्धित था –

कुलवीर सिंह   शेर सिंह

[illegible]

9792 161219 5002

9791

उप कोषाधिकारी
11 FEB 2009
चान्दपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

L 553503

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सालाना लगान 6-25 P.

11 FEB 2008

चान्दपुर.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 553504

5

विक्रय आगे जो अनपदीय पत्रों पर लिखित है।

11 FEB 2009

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

L 553505

शिक्षण संस्था द्वारा जारी

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 553506

[illegible] के [illegible] 50%

कुवरबहादुर

[illegible] [illegible]

उप कोषाधिकारी

11 FEB 2009

राजपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

L 553507

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] FEB 2009

जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

L 553508

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

१

200 मीटर की त्रिज्या में
कोई नहर कृषि भूमि है।

११७८ 1/6/2/9 5008

११७१

उप कोषाधिकारी

11 FEB 2009

चान्दपुर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

L 873951

10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्टाम्प विक्रेता का नाम-कपिल कुमार
अनुज्ञप्ति सं० 106 दिनांक 31/3/09 तक विधि मान्य
स्थान-चांदपुर (बिजनौर) की पूर्ति फीस 30

16/2/09

9799 16/2/09 506

9791

उप कोषाधिकारी
11 FEB 2009
उप कोषागार, चान्दपुर

आज दिनांक 16.2.09 को पुस्तक सं० 1
खण्ड 4312 के पृष्ठ 217 / 236 पर
क्र. सं. 1709 पर रजिस्ट्रीकरण किया गया।

उप निबन्धक, चान्दपुर